

विधि (प्रश्न-पत्र II)

LAW (Paper II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे
Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250
Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें।

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए।

Answer the following in about 150 words each. Support your answers with relevant legal provisions and judicial pronouncements. 10×5=50

- 1.(a) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत सदोष मानववध से संबंधित विधि में लागू होने वाले 'स्थानांतरित विद्वेष' के सिद्धान्त का विवेचन करें।

Discuss the doctrine of 'Transferred Malice' as applied to law relating to culpable homicide under the Indian Penal Code, 1860. 10

- 1.(b) सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की प्रकृति एवं क्षेत्र-विस्तार के साथ सीमायें (मर्यादा), यदि कोई हैं तो, उनकी विवेचना कीजिए।

Discuss the nature and scope of right of Private defence of property along with limitations if any, on the exercise of such right. 10

- 1.(c) दुष्प्रेरण-विधि के सन्दर्भ में 'आन्वयिक-अपराधिता' के सिद्धान्त को उदाहरण सहित समझाइए।

Illustrate the doctrine of 'constructive-criminality' with reference to law on Abetment. 10

- 1.(d) "वह जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, स्वयं कार्य करता है।"
उपरोक्त कथन के अनुक्रम में अपकृत्यात्मक दायित्व की विवेचना कीजिए।

"He who acts through another, does the act himself."
Discuss the tortious liability entailed in the above statement. 10

- 1.(e) एक वादी अपने ऊपर किये गये अपकृत्य के उपरान्त विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्ति (नुकसानी) का दावा कर सकता है, की व्याख्या कीजिए।

Explain the various kinds of damages that a plaintiff can claim after a tort has been committed against him. 10

- 2.(a) एक बीस वर्षीय लड़की 'जी' कालेज के बाद घर आ रही थी। 'एम' एक आदमी ने उसे पकड़ लिया, उसका मुँह बन्द कर दिया एवं उसे पास की झाड़ी में घसीट लिया, जहाँ उसने लड़की का गला काट दिया जिससे वह लड़की मर गई। उसके बाद आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया। उपरोक्त वाद में 'एम' ने क्या अपराध(धों) को, यदि कोई हो तो, कारित किया, तय करें। सुसंगत सांविधिक प्रावधानों की विस्तार में व्याख्या करें।

A twenty year old girl 'G' was coming back to home after attending college. A man 'M' held her, shut her mouth and dragged her to a nearby bush, where he slit the girl's throat thereby killing her. Thereafter he raped her. Decide what offence(s), if any, 'M' has committed in the above case. Explain the relevant statutory provisions in detail. 20

- 2.(b) “उपेक्षा में, कार्यकारण की शृंखला अक्षुण्ण (निरन्तर) रहनी चाहिए।” वाद-विधियों के संदर्भ द्वारा ‘उपेक्षा’ के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए।

“In Negligence, the chain of causation must remain intact.” Describe the essentials of ‘negligence’ by referring case-laws. 15

- 2.(c) ‘अत्याचार’ को परिभाषित करें। यह भी विवेचना करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कौनसे कार्य ‘अत्याचार’ की श्रेणी में आते हैं।

Define ‘Atrocity’. Also discuss the acts that amount to ‘atrocity’ under the provisions of The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. 15

- 3.(a) भारतीय दण्ड विधान 1860 के अन्तर्गत परिभाषित महिला पर उसकी ‘लज्जा भंग’ करने एवं ‘यौन शोषण’ करने के आशय से ‘हमला या आपराधिक बल’ से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिये। क्या इन दोनों के मध्य कोई विभेद है? व्याख्या कीजिये।

Discuss the law relating to ‘Assault or Criminal force’ to woman with intent to ‘Outrage her Modesty’ and ‘Sexual Harassment’ as defined under Indian Penal Code, 1860. Is there any difference between the two? Explain. 20

- 3.(b) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ‘ई-कॉमर्स’ को शामिल करने के कारणों को विस्तार से बतायें। साथ ही ई-कॉमर्स इकाईयों (संस्थाओं) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने के परिणामों की विवेचना कीजिये।

Elaborate the reasons for including ‘e-commerce’ in Consumer Protection Act, 2019. Also discuss the consequences for not complying with the provisions of the Act by the e-commerce entities. 15

- 3.(c) ‘प्राइवेट उपताप’ के आवश्यक तत्वों को वृहद में समझाईए। ‘प्राइवेट उपताप’ के वाद में वादी को उपलब्ध उपचारों की भी विवेचना कीजिए।

Elucidate the essentials of ‘Private Nuisance’. Also discuss the remedies available to a plaintiff in a suit for ‘private nuisance’. 15

- 4.(a) “बेईमानीपूर्ण आशय (इरादा) चोरी के अपराध का सार है।” उपर्युक्त कथन का उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से परीक्षण कीजिए। ‘चोरी’ और ‘बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग’ के बीच अंतर की भी विवेचना करें।

“Dishonest Intention is the gist of the offence of Theft.”

Examine the above statement with the help of relevant illustrations. Also discuss how ‘theft’ is different from ‘dishonest misappropriation of property.’ 20

- 4.(b) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिभाषित 'अनुचित-लाभ' शब्दावली का परीक्षण कीजिये। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में अन्वेषण के दौरान अनुकरण करने में अपेक्षित प्रक्रिया एवं अधिकृत व्यक्तियों की भी विवेचना कीजिए।

Examine the term 'Undue-Advantage' as defined under the Prevention of Corruption Act, 1988. Also discuss the persons authorised and the procedure required to be followed while investigating cases that are registered under the Prevention of Corruption Act, 1988. 15

- 4.(c) 'विद्वेषपूर्ण अभियोजन' के प्रतिकर (नुकसानी) के लिए किये गये वाद में वादी द्वारा साबित किये जाने वाले आवश्यक तत्वों की निर्णीत वाद-विधियों की सहायता से आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Critically analyse with the help of decided cases, the essentials to be proved by a plaintiff in a suit for damages for 'Malicious Prosecution.' 15

खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए।

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements. 10×5=50

- 5.(a) "संविदा विधि न तो पूर्णतः करारों की विधि है, न ही यह पूर्णतः बाध्यताओं की विधि है। यह ऐसे करारों की वह विधि है जो बाध्यताएँ निर्मित करती है एवं उन बाध्यताओं को जिनके स्रोत करार में होते हैं" — सामन्ड। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

"The law of contract is not the whole law of agreements, nor is it the whole law of obligations. It is the law of those agreements which create obligations, and those obligations which have their source in agreement" — Salmond. Critically examine this statement. 10

- 5.(b) "एक भागीदार के वाद पर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में वर्णित कुछ आधारों पर न्यायालय एक फर्म का विघटन कर सकता है। अधिनियम में उल्लिखित आधारों को एक भागीदार के विघटन के अधिकार पर किसी विपरीत करार द्वारा अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।" व्याख्या कीजिये।

"At the suit of a partner, the court may dissolve a firm on certain grounds specified in the Indian Partnership Act, 1932. The right of a partner to ask for dissolution on any of the grounds mentioned in the Act cannot be excluded by any agreement to the contrary." Explain. 10

- 5.(c) “एक माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा उसके गुणागुण पर अपील नहीं की जा सकती है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि माध्यस्थों के आचरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है । पंचाटों पर भी चुनौती (आपत्ति) की जा सकती है ।” उपरोक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

“The parties cannot appeal against an arbitral award as to its merits. But, this does not mean that there is no check on the Arbitrator’s conduct. Awards may also be challenged.” Critically examine the above statement. 10

- 5.(d) “भारत में, विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, जो विभिन्न विधियों के अन्तर्गत संरक्षित हैं ।” व्याख्या कीजिये ।

“In India, there are different types of Intellectual Property rights, which are protected under different laws.” Explain. 10

- 5.(e) ‘राष्ट्रीय-हरित न्यायाधिकरण’ किस तरह के मामलों की सुनवाई करता है ? यह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किस प्रकार भिन्न है ?

What kind of cases are heard by the ‘National-Green Tribunal’ ? How is it different from the Central Pollution Control Board (CPCB) ? 10

- 6.(a) “महिलाओं के सांविधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में जनहित वाद को एक उपकरण की तरह प्रयोग करते हुये सांविधानिक न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियता से महिलाओं के विरुद्ध शोषण से सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है ।” निदर्शक (मुख्य)-वाद विधियों के साथ व्याख्या कीजिये ।

“The Constitutional courts through their judicial activism have made substantial contribution in protecting women against exploitation, using Public Interest Litigation as a tool for securing their Constitutional rights.” Explain with leading case laws. 20

- 6.(b) “एक अवयस्क की संविदा शून्य होने के कारण, सामान्यतया इसे सभी प्रभावों से मुक्त होना चाहिए । यदि कोई संविदा नहीं है, तो वास्तव में दोनों तरफ कोई संविदात्मक बाध्यता भी नहीं होनी चाहिए ।” वाद-विधियों के साथ व्याख्या कीजिये ।

“A minor’s contract being void, ordinarily it should be wholly devoid of all effects. If there is no contract, there should, indeed, be no contractual obligation on either side.” Explain with case laws. 15

- 6.(c) “एक ‘वाहक लिखत’ सामान्य वितरण द्वारा अंतरणीय होता है। एक ‘आदेशानुसार देय लिखत’ को पृष्ठांकन अथवा वितरण द्वारा अंतरित किया जा सकता है।” व्याख्या कीजिये।

“A ‘bearer instrument’ is transferable by simple delivery. An ‘instrument payable to order’ can be transferred by endorsement and delivery.” Explain. 15

- 7.(a) “‘मानक-संविदाओं’ में बड़ी संख्या में निबंधन एवं शर्तें ‘सुस्पष्ट’ (Fine Print) होती हैं जो संविदा के अन्तर्गत दायित्व को प्रतिबन्धित या अक्सर बाहर कर देती हैं। व्यक्ति बड़े पैमाने पर संगठन (संस्थाओं) के साथ शायद ही सौदा कर सकते हैं।” न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सुरक्षा तरीकों की व्याख्या कीजिये।

“‘Standard-contracts’ contain a large number of terms and conditions in ‘fine print’ which restrict or often exclude liability under the contracts. The individuals can hardly bargain with the massive organisation.” Explain the modes of protection which have been evolved by the courts. 20

- 7.(b) भारत में ‘सूचना का अधिकार’ के सांविधानिक आधार का वर्णन कीजिये। निर्णीत वादों का संदर्भ दें।

Describe the constitutional roots of ‘Right to Information’ in India. Refer to decided case laws. 15

- 7.(c) “‘अप्रकटित मालिक का सिद्धान्त’ तब प्रकाश में आता है जब अभिकर्ता न तो मालिक के अस्तित्व को प्रकट करता है, न ही उसके प्रातिनिधिक चरित्र को।” इस तरह के मामलों में मालिक अभिकर्ता एवं तीसरी पार्टी के अधिकार एवं दायित्वों की विवेचना कीजिये।

“The doctrine of ‘Undisclosed Principal’ comes into play when the agent neither disclosed the existence of his principal nor his representative character.” In such cases discuss the rights and liabilities of the Principals, the agent and the third parties. 15

- 8.(a) तृतीय पक्ष-सामग्री उन्हीं द्वारा होस्ट (प्रस्तुत) करने का उत्तरदायी, किसी मध्यस्थ को, किन परिस्थितियों में ठहराया जा सकता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सुसंगत विधिक उपबंधों और अन्य समकालीन विकासों (गतिविधियों) के प्रकाश में मध्यस्थों के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए।

Under what circumstances, can an intermediary be held liable for third party-content hosted by them? Explain the liability of intermediaries in the light of the relevant legal provisions in IT Act and other contemporary developments. 20

- 8.(b) 'मीडिया-परीक्षणों में न्याय-प्रशासन को नष्ट करने की संभावना होती है। इस कथन के आलोक में, मीडिया परीक्षण पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिये।

'Media trials entail the possibility of subverting administration of justice.' In the light of this statement, analyse the report of Law Commission of India on Media Trial. 15

- 8.(c) "यद्यपि जोखिम और सम्पत्ति आमतौर पर एक साथ चलते हैं, दोनों अपृथक (अविभाज्य) नहीं हैं। कभी-कभी जोखिम एक पार्टी में और सम्पत्ति दूसरे में हो सकती है।" माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत 'जोखिम चला देना' से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिये।

"Though risk and property generally go together, the two are not inseparable. Sometimes risk may be in one party and property in another." Discuss the law relating to 'passing off risk' under the Sale of Goods Act, 1930. 15